संख्या-73/2020/815/24-1-20-402(बजट)/2017

प्रेषक:

मणीन्द्र शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन,लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 27 जुलाई, 2020**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उदय योजना के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु राज्य सरकार की ओर से नियुक्त किये जाने वाले कन्सलटेन्ट के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 का पत्र संख्या-696/अधि0नि0 (वित्त) /निधि-।।/आय-व्ययक 2020-21/394, दिनांक 16 जून, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में उदय योजना के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु राज्य सरकार की ओर से नियुक्त किये जाने वाले कन्सलटेन्ट के भुगतान हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये 1,56,76,000/- (रूपये एक करोड़ छप्पन लाख छिहत्तर हजार मात्र) में से प्रथम त्रैमास हेतु धनराशि रूपये 39,19,000/- (रूपये उनतालिस लाख उन्नीस हजार मात्र) आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग आवश्यकता होने पर ही उसी मद में किया जायेगा, जिस मद में धनराशि स्वीकृत की जा रही हैं।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-9 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय -05- संचरण तथा वितरण-190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-11-"उदय" योजना के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए नियुक्त किये जाने वाले कन्सलटेन्ट के भुगतान हेतु -30- निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई- 10- 157 -दस- 2020, दिनांक 23 जुलाई, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

मणीन्द्र शर्मा
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या- 73 /2020/815(1)/24-1-20, तददिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर- एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ राज्य योजना आयोग अनुभाग-1
6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

मणीन्द्र शर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in